

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी

पत्रांक :- बु०वि०/सम्ब०/२०१३/ 62-63

दिनांक :- 17/12/2013

सेवा में,

प्रबंधक,

प० वासुदेव तिवारी कन्या महाविद्यालय,
झाँसी।

विषय :- प्राचार्य के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

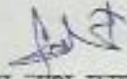
उपर्युक्त विषयक आपके पत्र दिनांक 22/11/2013 के सन्दर्भ में सूचित करना है कि शासनादेश संख्या :- 2443/सत्तर-2-2000-2(89)/97 दिनांक 9 मई 2000 एवं चयन समिति की संस्तुति के आधार पर कुलपति जी ने निम्नलिखित विवरणानुसार डा० बीना सिंह को प्राचार्य पद पर इस प्रतिबंध के साथ अनुमोदन प्रदान करने की कृपा की है कि अनुमोदित प्राचार्य को वेतन भुगतान बैंक के माध्यम से किया जायेगा।

क.	अभ्यर्थी का नाम	विषय/पद	जन्मतिथि	वर्ग	अर्हता
1	डा० बीना सिंह	प्राचार्य	09/07/1977	सामान्य	पी०एच०डी०

उक्त के अतिरिक्त यह भी सूचित है कि यदि सम्बन्धित अभ्यर्थी के अभिलेखों में किसी प्रकार की कोई त्रुटि पायी गयी तो इसका समस्त उत्तरदायित्व महाविद्यालय प्रबंध समिति का होगा।

आपको यह भी निर्देशित किया जाता है कि अनुमोदित प्राचार्य के नियुक्ति पत्र की प्रति, अनुबंध पत्र की प्रति एवं कार्यभार ग्रहण आख्या यथाशीघ्र अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय


(पारस नाथ प्रसाद)
उपकुलसचिव

प्रतिलिपि :- श्री विवेक कुमार पाटकर, को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त डाटा कंप्यूटर में फीड करें।

/
उपकुलसचिव